

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.1(45)नविवि / ॥ / 2017

जयपुर, दिनांक 8 MAR 2019

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22.02.2019 द्वारा श्री तैयब खान, अधिशासी अभियंता (न्यास सेवा), नगर विकास न्यास, अलवर का जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में किया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री खान यथावत नगर विकास न्यास, अलवर में पर्याप्त रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—५८—
(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव-प्रधम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 - निजी सनिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 - आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
 - निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
 - सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
 - श्री तैयब खान, अधिशासी अभियंता (न्यास सेवा), नगर विकास न्यास, अलवर।
 - वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
 - रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम